

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

पत्र-क्रमांक: 50-51 / रिक्रू / 2026

भोपाल, दिनांक: 13/03/2026

:: चयन सूची एवं साक्षात्कार परिणाम की घोषणा ::

गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संचालित "National One Health Programme for Prevention and Control of Zoonoses (NOHPPCZ)" प्रोग्राम के अंतर्गत रिक्त संविदा पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति क्रमांक/41/एमसी/रिक्रू/2026 दिनांक 27/02/2026 के अनुक्रम में दिनांक 13.03.2026 को आयोजित साक्षात्कार (Interview) के आधार पर, चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर चयनित एवं प्रतीक्षा सूची में रखा गया है:

1. लेबोरेटरी टेक्नीशियन (01 UR):

स. क्र.	पात्र उम्मीदवारों के नाम	पिता/पति का नाम	परिणाम
1	श्री जितेन्द्र सिंह	श्री कमल सिंह	चयनित (SELECTED)
2	सुश्री कविता शाक्य	श्री लालचंद शाक्य	प्रतीक्षा सूची (WL-01)
3	सुश्री अनुराधा द्विवेदी	श्री आजाद द्विवेदी	प्रतीक्षा सूची (WL-02)

2. डाटा एंट्री ऑपरेटर (01 UR):

स. क्र.	पात्र उम्मीदवारों के नाम	पिता/पति का नाम	परिणाम
1	श्री नवल किशोर प्रजापति	श्री जमना प्रसाद प्रजापति	चयनित (SELECTED)
2	श्रीमती रहनुमा अंजुम	श्री मोहम्मद रजा खान	प्रतीक्षा सूची (WL-01)
3	श्री अभिषेक विश्वकर्मा	श्री पृथ्वी सिंह विश्वकर्मा	प्रतीक्षा सूची (WL-02)

चयनित उम्मीदवारों के लिए आवश्यक शर्तें एवं निर्देश:

- कार्यभार ग्रहण (Reporting): चयनित उम्मीदवारों को परिणाम घोषित होने के 07 दिनों के भीतर डॉ. दीप्ति चौरसिया (नोडल अधिकारी- NOHPPCZ), माइक्रोबायोलॉजी विभाग, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को अपनी उपस्थिति रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है। नियत समय सीमा में रिपोर्ट न करने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी और प्रतीक्षा सूची के अगले उम्मीदवार को अवसर दिया जाएगा।
- प्रतीक्षा सूची की वैधता (Waiting List): प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा परियोजना की अवधि समाप्त होने तक (जो भी पहले हो) मान्य रहेगी।

3. नियुक्ति की प्रकृति (Nature of Appointment): यह नियुक्तियां पूर्णतः संविदात्मक (Contractual) हैं और परियोजना के साथ ही समाप्त (Co-terminus) हो जाएंगी। प्रारंभिक नियुक्ति 01 वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषजनक कार्य प्रदर्शन और NCDC से निरंतर फंड प्राप्त होने के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
4. नियमितीकरण का दावा नहीं (No Claim for Regularization): यह नियुक्ति केवल इस विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए है। चयनित उम्मीदवारों को GMC भोपाल, NCDC या भारत सरकार के अधीन नियमित नियुक्ति, अवशोषण या वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
5. अनुबंध (Agreement): चयनित उम्मीदवारों को 500/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non-Judicial Stamp Paper) पर एक अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध/एग्रीमेंट से संबंधित समस्त व्यय उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा।
6. आवास: संस्थान या नोडल अधिकारी द्वारा कोई हॉस्टल या अन्य आवास सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।



अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

पत्र-क्रमांक: / रिक्रू / 2026

भोपाल, दिनांक:

प्रतिलिपि:

1. डॉ. दीप्ति चौरसिया (नोडल अधिकारी- NOHPPCZ), माइक्रोबायोलॉजी विभाग, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

11

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)